ऑन लाईन नं.RCMS2023/248

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 99 / 2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री हरबंसलाल पुत्र श्री मुकंद लाल अरोड़ा --विक्रेता व मालिक--
   मै0 हरबन्स लाल एण्ड ब्रदर्स, मैन बाजार, बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय दिनांक : 20.10.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.02.2022 को बाद दोपहर बाद 2.30 पीएम पर **मै0** हरबन्स लाल एण्ड ब्रदर्स, मैन बाजार, बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता **हरबंस लाल पुत्र श्री मुकन्द लाल अरोड़ा** (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर दुकान के अन्दर रखे खाद्य पदार्थ **नमकीन (शर्मा टेस्टी क्रिस्पी)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा दुकान के अन्दर 300-300 ग्राम 40 पोली पैक खाद्य पदार्थ **नमकीन (शर्मा टेस्टी क्रिस्पी)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **नमकीन (शर्मा टेस्टी क्रिस्पी)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **नमकीन (शर्मा टेस्टी क्रिस्पी)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **हरबंस लाल पुत्र श्री मुकन्द लाल अरोड़ा** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक **हरबंस लाल पुत्र श्री मुकन्द लाल अरोड़ा** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **नमकीन (शर्मा टेस्टी क्रिस्पी)** 4 पोलीपैक को विक्रेता से तय कीमत पर खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **नमकीन (शर्मा टेस्टी क्रिस्पी)** का नगद भुगतान 200/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **नमकीन (शर्मा टेस्टी क्रिस्पी)** 4 पोलीपैक शुद्वता की जांच के लिए ली। चारों पोलीपैंक पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1385** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1385** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **हरबंस लाल पुत्र श्री मुकन्द लाल अरोड़ा** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./292/Act/2023/292 Dated 03-03-2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1385 Misbranded-Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **हरबंस लाल पुत्र श्री मुकन्द लाल अरोड़ा** मैसर्स हरबन्स लाल एण्ड ब्रदर्स, मैन बाजार, बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **नमकीन (शर्मा टेस्टी क्रिस्पी)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी वार्ड नम्बर 05 बीझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स हरचन्द लाल एण्ड ब्रदर्स, मैन बाजार, बीझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 23/2362 दिनांक 29.08.2023 का दिया है कि आपकी फैक्ट्री मे **नमकीन (शर्मा टेस्टी किस्पी)** की जांच की गई तो **नमकीन (शर्मा टेस्टी किस्पी)** **Misbranded-Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **नमकीन (शर्मा टेस्टी किस्पी)** में सुधार कर लिया है। भविष्य मे प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **नमकीन (शर्मा टेस्टी किस्पी)** का सैम्पल **K-1385** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./292/Act/2023/292 Dated 03-03-2022 द्वारा **Misbranded-Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी मैसर्स हरचन्द लाल एण्ड ब्रदर्स, मैन बाजार, बीझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 23/2362 दिनांक 29.08.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में **नमकीन (शर्मा टेस्टी किस्पी)** की जांच की गई तो **नमकीन (शर्मा टेस्टी किस्पी)** **Misbranded-Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **नमकीन (शर्मा टेस्टी किस्पी)** में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"White Slice Bread (Sri Taaza)" bearing Code No and Sr. No. K-1385, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006,** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त **हरबंस लाल पुत्र श्री मुकन्द लाल अरोड़ा** एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **हरबंस लाल पुत्र श्री मुकन्द लाल अरोड़ा** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000--00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **हरबंस लाल पुत्र श्री मुकन्द लाल अरोड़ा** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर